[2003] 2 उम.नि.प. 75

कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (मैसर्स) और एक अन्य

बनाम

मैसर्स रानी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

30 जनवरी, 2002

मुख्य न्यायमूर्ति एस.पी. भरुचा, न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी, न्यायमूर्ति यू.सी. बनर्जी, न्यायमूर्ति एस.एन. वरियावा और न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) — धारा 11 [सहपठित संविधान, 1950 का अनुच्छेद 136] — मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के उपबंधों के प्रयोग में माध्यस्थम् करार के पक्षकारों के मध्य उद्भूत विवादास्पद विवाद्यों को विनिश्चित किए जाने के लिए पारित आदेश प्रशासनिक आदेश होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 136 के उपबंध आकृष्ट न होना — उक्त धारा के उपबंधों के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा पारित आदेश न्यायनिर्णयनकारी कृत्य न होने के कारण मुख्य न्यायमूर्ति या उनका पदाभिहित व्यक्ति अधिकरण नहीं है, अतः उसके आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत अपील का आवेदन नहीं किया जा सकता है ।

वर्तमान अपील के तथ्यानुसार माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत से अपील का आवेदन फाइल किए जाने से संबंधित विवाद के बारे में उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ ने 1999 में संप्रकाशित अडोर सामिया प्रा.लि. बनाम पी.के. होल्डिंग्स लि. वाले मामले में यह निष्कर्ष निकाला था कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति या उनके पदाभिहित किसी व्यक्ति द्वारा पारित आदेश प्रशासनिक आदेश है और ऐसे आदेश को संविधान के अनुच्छेद 136 के उपबंध लागू नहीं होते हैं । दो न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ ने उक्त मामले के विनिश्चय को तीन न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ के लिए निर्दिष्ट कर दिया । कोंकण रेलवे कारपोरेशन बनाम मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले मामले में तीन न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ ने अडोर सामिया वाले पूर्ववर्ती मामले में के विनिश्चय की पुष्टि करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति या उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा पारित आदेश प्रशासनिक आदेश होने के कारण इसे संविधान के अनुच्छेद 136 के उपबंध आकृष्ट नहीं होते हैं । तत्पश्चात्, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन् प्रा.लि. वाले मामले में दो विद्वान न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ ने इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए इसे वृहत्तर न्यायपीठ के लिए निर्दिष्ट कर दिया। इस प्रकार इस मामले में संविधान न्यायपीठ द्वारा सुनवाई की गई । संविधान न्यायपीठ ने कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. और अन्य बनाम मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले मामले में तीन न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ के विनिश्चय की पुष्टि करते हुए और अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित — संक्षिप्त रूप में किसी आदेश के विरुद्ध अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत से अपील किए जाने का आवेदन अवश्य ही न्यायनिर्णयनकारी आदेश होना चाहिए, ऐसा आदेश जो पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों का न्यायनिर्णयन करे और यह राज्य द्वारा अपनी जनता को न्याय सुलभ कराने की उसकी विबाध्यता के निर्वहन के प्रयोजनार्थ उसके (राज्य के) द्वारा गठित प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाना चाहिए । (पैरा 15)

अधिनियम की धारा 11 में मध्यस्थों की नियुक्ति की चर्चा है । इसमें यह उपबंधित है कि पक्षकार मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया की बाबत सहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है । ऐसी प्रक्रिया के संबंध में कोई सहमति न हो पाने की स्थिति में तीन मध्यस्थों वाले माध्यस्थम् में प्रत्येक पक्षकार से एक मध्यस्थ नियुक्त करने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार नियुक्त दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे । यदि कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने के तीस दिन के भीतर मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर पाता है अथवा पक्षकारों द्वारा

नियुक्त दोनों मध्यस्थ अपनी नियुक्ति के तीन दिन के भीतर तीसरे मध्यस्थ की बाबत सहमत नहीं हो पाते हैं, तो पक्षकार मध्यस्थ नामांकित करने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध कर सकता है और नामांकन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किया जाएगा । यदि पक्षकार एकमात्र मध्यस्थ वाले माध्यस्थम् में मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया की बाबत सहमत नहीं हुए हैं और पक्षकार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर मध्यस्थ की बाबत सहमत नहीं हो पाते हैं, तो नामांकन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा पक्षकार के अनुरोध पर किया जाएगा । जहां पक्षकारों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया की सहमति व्यक्त की गई है किंतु कोई पक्षकार उस प्रक्रिया द्वारा यथा अपेक्षित रूप में कार्य नहीं कर पाता है अथवा पक्षकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त दोनों मध्यस्थ उस सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं जिसकी उनसे उस प्रक्रिया के अधीन आशा की जाती है अथवा व्यक्ति अथवा संस्था उस कृत्य को करने में असफल रहती है जो उन्हें सौंपा गया या उस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर पाती है, तो पक्षकार मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति से मध्यस्थ का नामांकन करने का अनुरोध कर सकता है जबतक कि नियुक्ति प्रक्रिया में इस संबंध में दूसरी बातों का उपबंध न हो। मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम होता है । मध्यस्थ का नामांकन करते हुएं मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को पक्षकारों के मध्य के करार में की मध्यस्थ की अपेक्षित अर्हताओं और उन अन्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए जोकि स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ का नामांकन सुनिश्चित करेंगी । (पैरा 16)

धारा 11 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अनुरोध करने वाले पक्षकार से भिन्न पक्षकार को ध्यान देने की अपेक्षा की जाए । इसमें दूसरे पक्षकार से उत्तर की बात अनुध्यात नहीं है । किसी ऐसे संविवाद पर मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा विनिश्चय अनुध्यात नहीं है जो दूसरा पक्षकार तीस दिन की अवधि के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में उसके विफल रहने के संबंध में उठा सके । मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को मध्यस्थ का नामांकन केवल तभी करना चाहिए यदि तीस दिन की अवधि समाप्त हो गई हो किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि नामांकन करने का विनिश्चय न्यायनिर्णयनकारी है । मुख्य न्यायमूर्ति को नियुक्ति करने के अपने अनुरोध में पक्षकार से यह प्रकथन करना चाहिए कि वह अवधि व्यतीत हो गई है और सामान्य रूप से पक्षकारों के मध्य हुए पत्र व्यवहार को इसकी पुष्टि करने के लिए संलग्न किया जाना चाहिए । इस बात को मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए । इस बात से कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को पक्षकारों के मध्य हुए करार (जो साधारणत: अनुरोध के साथ सलंग्न किया जाएगा) के द्वारा मध्यस्थ की अपेक्षित अर्हताओं और उन अन्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिनसे स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ का नामांकन सुनिश्चित होने की अधिसंभाव्यता है से भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति से न्यायनिर्णयनकारी कृत्य किया जाना अपेक्षित है । 'विनिश्चय' शब्द का प्रयोग मध्यस्थ का नामांकन करने की बाबत किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध के मामले में किया जाता है का यह अर्थ नहीं है कि न्यायनिर्णयनकारी विनिश्चय अनुध्यात है । (पैरा 17)

यह भी संभव है कि किसी मामले में मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति मध्यस्थ का नामांकन कर दे चाहे तीस दिन की अवधि व्यतीत न हुई हो । यदि ऐसा है तो माध्यस्थम् अधिकरण का गठन अनुचित और अधिकारिता रहित होगा । तब व्यथित पक्षकार को माध्यस्थम् अधिकरण से उसकी अधिकारिता की बाबत न्यायादेश कराने की स्वतंत्रता होगी । इसके लिए धारा 16 में उपबंध है । इसमें यह कहा गया है कि माध्यस्थम् अधिकरण अपनी स्वयं की अधिकारिता की बाबत न्यायादेश दे सकता है । इस बात से कि माध्यस्थम् अधिकरण "माध्यस्थम् करार की विधिमान्यता अथवा विद्यमानता के संबंध में किसी भी आक्षेप" की बाबत न्यायादेश दे सकता है से यह दर्शित है कि धारा 16 के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण का प्राधिकार उसकी अधिकारिता के विस्तार तक ही सीमित नहीं है, जैसाकि अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल द्वारा निवेदन किया गया, अपितु यह उसकी अधिकारिता के आधार से भी संबंधित है । अत: माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष यह दलील देने में कोई अड़चन नहीं है कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित

व्यक्ति ने मध्यस्थ नामांकित कर दिया यद्यपि तीन दिन की अवधि समाप्त नहीं हुई थी इसका गलत गठन किया गया और इसलिए उसे कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। (पैरा 20)

धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा बनाई गई स्कीमें धारा 11 के निर्वचन को शासित नहीं कर सकती हैं। यदि तैयार की गई स्कीमें धारा 11 के निबंधनों के परे हैं, तो वे दोषपूर्ण हैं और संशोधित की जानी चाहिएं। इस सीमा तक मध्यस्थों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की स्कीम, 1996 के अधीन धारा 11 के बाहर है, अत: खंड 7 के अधीन माध्यस्थम् करार दूसरे पक्षकार पर यह दर्शित करने के लिए नोटिस तामिल किया जाना आवश्यक है कि मध्यस्थ का नामांकन, जैसीकि प्रार्थना की गई, नहीं किया जाना चाहिए यह दोषपूर्ण है और संशोधित किया जाए। दूसरे पक्षकार को इस अनुरोध का नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है ताकि उसके विषय में जान सके और वह ऐसा करना चाहता है, तो मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति की मध्यस्थ के नामांकन में सहायता कर सकता है। (पैरा 21)

निष्कर्षत:, न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा धारा 11 के अधीन किया गया आदेश जिसके द्वारा मध्यस्थ का नामांकन किया गया न्यायनिर्णयनकारी आदेश नहीं है और मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनका पदाभिहित व्यक्ति अधिकरण नहीं है। ऐसे आदेश के विरुद्ध अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत अपील का आवेदन उचित ही नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. और अन्य बनाम मेहुले कन्सट्रक्शन कं. वाले मामले में तीन न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय की पुष्टि की जाती है। (पैरा 22)

अनुसृत निर्णय

पैरा

[2000] (2000) 7 एस.सी.सी. 201:
कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. और अन्य बनाम **मेहुले कंस्ट्रक्शन कं.**।
1

निर्दिष्ट निर्णय

[2000] (2000) 6 एस.सी.सी. 159:
कोंकण रेलवे कन्स्ट्रक्शन लि. और अन्य बनाम **रानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.**; 2

[1999] (1999) 8 एस.सी.सी. 572:
अडोर सामिया प्राइवेट लि. बनाम **पी.के. होल्डिंग्स लि. और अन्य**; 1

[1965] [1965] 2 एस.सी.आर. 366:
एसोशिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज लि. बनाम **पी.एन. शर्मा और एक अन्य**; 9

[1963] [1963] सप्ली. 1 एस.सी.आर. 625:
इंजीनियरिंग मजदूर सभा और एक अन्य बनाम **हिन्द साइकिल्स लि.मुम्बई**; 10

[1963] [1963] सप्ली. 1 एस.सी.आर. 242:
जसवन्त शुगर मिल्स लि., मेरठ बनाम **लक्ष्मीचंद और अन्य**। 10

अपीली (सिविल) अधिकारिता : **1997 की सिविल अपील सं. 5880-5889.**
[इसके साथ सि.अ.सं. 713-14/1999, सि.अ.सं. 715/1999, सि.अ.सं. 716/1999, सि.अ.सं. 2037-2040/1999, सि.अ.सं. 2041/1999, सि.अ.सं. 2042-2044/1999, सि.अ.सं.4311/1999, सि.अ.सं.4312/1999, सि.अ.सं. 4324/1999, सि.अ.सं.4356/1999, सि.अ.सं.7304/1999, सि.अ.सं.7306-7309/1999 की भी सुनवाई की गई।]

उपस्थिति पक्षकारों की ओर से

सर्वश्री सोली जे. सोराबजी (महान्यायवादी), एस. गणेश, पी.पी. मल्होत्रा, एस.के. ढोलकिया, दुष्यंत दवे (साहरया एंड कं. की ओर से सर्वश्री अतुल वाई.चितले, संजीव सेन, सुश्री सुचित्रा अतुल चितले, सर्वश्री बी.के. सतीजा, एस. मुरलीधर, और वी.बी. साहरया), ध्रुव मेहता, प्रतीक जालान, सुश्री अनिल कटियार, सर्वश्री वी.के.वर्मा, पी. नागेश, के.वी. मोहन, एस. गुरु कृष्ण कुमार, एल.सी. तोलत, एस.आर. सेतिया, एस.पी.एस. सुधीर, के.जे. जॉन, पी. वेणुगोपाल, नरेन्द्र एम. शर्मा; आर.के. सांघी, राजेश प्रसाद सिंह और हरिशंकर के.

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति एस.पी. भरुचा ने दिया ।

मु.न्या. भरुचा – अडोर सामिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम **पी.के. होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा पदाभिहित कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 के अधीन कार्य करते हुए प्रशासनिक हैसियत में कार्य किया है तो ऐसा आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के उपबंधों को आकृष्ट नहीं करेगा । इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने उपर्युक्त **अडोर सामिया** वाले विनिश्चय को तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ को पुनर्विचार किए जाने के लिए निर्दिष्ट कर दिया । **कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. और अन्य** बनाम **मेहुले कन्स्ट्रक्शन कं.**[2] वाले मामले में तीन विद्वान न्यायाधीशों के न्यायपीठ के विनिश्चय में उपर्युक्त **अडोर सामिया** वाले मामले में व्यक्त किए गए इस मत की पुष्टि की गई कि अधिनियम की धारा 11 के अधीन शक्ति के प्रयोग में मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति का आदेश एक प्रशासनिक आदेश था और यह आदेश अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं था । तत्पश्चात् **कोंकण रेलवे कन्स्ट्रक्शन लि. और अन्य** बनाम **रानी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने मामले के पुनर्विचार के लिए तीन विद्वान न्यायाधीशों के बृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर दिया (इस परिपाटी की बाबत संविधान न्यायपीठ ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की) । इस प्रकार यह मामला संविधान न्यायपीठ के समक्ष आया है ।

2. जब यह मामला सर्वप्रथम संविधान न्यायपीठ के समक्ष आया, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया : --

> "यह निर्देश एक विस्तृत निर्देश आदेश [(2000) 8 एस.सी.सी.159] द्वारा किया गया है ।
>
> ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके नामनिर्देशिती ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अधीन कार्य करते हुए अभिकथित माध्यस्थम् करार के पक्षकारों के मध्य उत्पन्न प्रतिविरोधात्मक विवाद्यकों को विनिश्चित किया है और हमसे यह विनिश्चित करने की अपेक्षा की है कि क्या वह आदेश जिसके द्वारा विवाद्यकों को विनिश्चित किया गया न्यायिक आदेश है अथवा प्रशासनिक आदेश।
>
> हमारे समक्ष संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ जो यह है : क्या मुख्य न्यायमूर्ति

---

[1] (1999) 8 एस.सी.सी. 572.

[2] (2000) 7 एस.सी.सी. 201.

[3] (2000) 8 एस.सी.सी. 159.

अथवा उनके नामनिर्देशिती को धारा 11 के अधीन कार्य करते हुए अभिकथित माध्यस्थम् करार के पक्षकारों के मध्य किसी प्रतिविरोधात्मक विवाद्यक को विनिश्चित करने का प्राधिकार है ? दूसरे शब्दों में क्या धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके नामनिर्देशिती की शक्ति उपरोक्त धारा की उपधारा (4)(5) और (6) के अधीन आने वाले मामलों में मध्यस्थ के नामांकन तक ही निर्बंधित है ?

जैसा कि हम समझते हैं, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान महासालिसीटर और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान काउन्सेल इस बात से सहमत हैं । उन दोनों के अनुसार धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके नामनिर्देशिती की शक्ति मध्यस्थ के नामांकन तक ही निर्बंधित है और जो आदेश वह करता है वह एक प्रशासनिक आदेश है ।

अत: महान्यायवादी से यह अनुरोध किया जाना आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय की सहायता करें । श्री अंध्यार्जुन जो न्यायालय में उपस्थित हैं किंतु इस मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ने हमारे समक्ष कुछ दलीलें दीं । वह जब इस मामले पर संविधान न्यायपीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा ऐसा करने के हकदार होंगे ।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि और अभिलेख पुस्तिका की एक नकल महान्यायवादी और श्री अंध्यार्जुन दोनों को रजिस्ट्री द्वारा दी जाएगी ।

तदनुसार, स्थगित की गई ।"

3. यह अवधारित करने के लिए कि क्या अधिनियम की धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति का आदेश एक न्यायिक आदेश है अथवा प्रशासनिक आदेश, अधिनियम के कतिपय उपबंधों का उल्लेख करना आवश्यक है । अधिनियम की धारा 2(ङ) में न्यायालय इस प्रकार परिभाषित है :

"(ङ) "न्यायालय" से किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय भी है जो माध्यस्थम् की विषय-वस्तु होने वाले प्रश्नों का, यदि वे वाद की विषय-वस्तु होते, तो विनिश्चय करने की अधिकारिता रखता, किंतु ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से अवर श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई लघुवाद न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है; "

धारा 5 इस प्रकार है :

" <u>न्यायिक मध्यक्षेप का विस्तार</u> - तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई न्यायिक प्राधिकारी उस दशा के सिवाय मध्यक्षेप नहीं करेगा, जिसके लिए इस भाग में ऐसा उपबंध किया गया हो ।"

धारा 8 जहां तक वह सुसंगत है इस प्रकार है :--

"8(1) कोई न्यायिक प्राधिकारी, जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में ऐसा अनुयोग लाया जाता है, जो किसी माध्यस्थम् करार का विषय है, यदि कोई पक्षकार ऐसा आवेदन करता है जो उसके पश्चात् नहीं है जब वह विवाद के सार पर अपना प्रथम कथन प्रस्तुत करता है, तो वह पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।"

धारा 10 में यह कथित है कि माध्यस्थम् करार के पक्षकार मध्यस्थों की संख्या अवधारित करने के लिए स्वतंत्र हैं किंतु ऐसी संख्या समसंख्या नहीं होगी; ऐसे अवधारण में असफल रहने पर माध्यस्थम् अधिकरण एकमात्र मध्यस्थ से मिलकर बनेगा ।

धारा 11 इस प्रकार है :--

" मध्यस्थों की नियुक्ति- (1) किसी भी राष्ट्रिकता का कोई व्यक्ति, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, मध्यस्थ हो सकता है ।

(2)उपधारा (6) के अधीन रहते हुए पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्त करने के लिए किसी प्रक्रिया पर करार करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(3)उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर, तीन मध्यस्थ वाले किसी माध्यस्थम् में, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दो नियुक्त मध्यस्थ ऐसे तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा ।

(4)यदि उपधारा (3) की नियुक्ति की प्रक्रिया लागू होती है और --

(क)कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने में, दूसरे पक्षकार से ऐसा करने के किसी अनुरोध की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर असफल रहता है, या

(ख)दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में असफल रहते हैं, तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी ।

(5)उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर, एकमात्र मध्यस्थ वाले किसी माध्यस्थम् में, यदि पक्षकार किसी मध्यस्थ पर, किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से किए गए किसी अनुरोध की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर इस प्रकार सहमत होने में असफल रहते हैं, तो नियुक्ति किसी पक्षकार के अनुरोध पर मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

(6) जहां पक्षकारों द्वारा करार पाई गई किसी नियुक्ति की प्रक्रिया के अधीन,--

(क)कोई पक्षकार उस प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित रूप से कार्य करने में असफल रहता है ; या

(ख)पक्षकार अथवा दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के अधीन उनसे अपेक्षित किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं ; या

(ग) कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई संस्था है, उस प्रक्रिया के अधीन उसे सौंपे गए किसी कृत्य का निष्पादन करने में असफल रहता है,वहां कोई पक्षकार, मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था से, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया के किसी करार में नियुक्ति सुनिश्चित कराने के अन्य साधनों के लिए उपबंध न किया गया हो, आवश्यक उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है ।

(7)उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए किसी विषय पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(8)किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करने में मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगी--

(क)पक्षकारों के करार द्वारा अपेक्षित मध्यस्थ की कोई अर्हता ; और

(ख)अन्य बातें, जिनसे किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने की संभावना है ।

(9)किसी अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की दशा में, जहां पक्षकार विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हैं, वहां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न किसी राष्ट्रीयता वाला कोई मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगी ।

(10)मुख्य न्यायमूर्ति, कोई ऐसी स्कीम बना सकेगा जो उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) द्वारा सौंपे गए विषयों के निपटारे के लिए समुचित समझे ।

(11)जहां विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों या उनके पदाभिहितों से उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन एक से अधिक बार अनुरोध किया गया हो, वहां केवल वही मुख्य न्यायमूर्ति या उसका पदाभिहित ही, जिससे सुसंगत उपधारा के अधीन प्रथम बार अनुरोध किया गया है, ऐसे अनुरोध की बाबत विनिश्चय करने के लिए सक्षम होगा ।

(12)(क) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं, वहां उन उपधाराओं में "मुख्य न्यायमूर्ति" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "भारत के मुख्य न्यायमूर्ति" के प्रति निर्देश है ।

(ख)जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (10) में निर्दिष्ट विषय किसी अन्य माध्यस्थम् में उद्भूत होते हैं, वहां उन उपधाराओं में "मुख्य न्यायमूर्ति" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश हैं जिसकी स्थानीय परिसीमाओं के भीतर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है और, जहां स्वयं उच्च न्यायालय ही उस खंड में निर्दिष्ट न्यायालय है, वहां उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश है ।

धारा 12 उस व्यक्ति पर, जिसको मध्यस्थ बनाने के लिए उसकी नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव किया गया है, यह बाध्यता अधिरोपित करती है कि वह किसी ऐसी परिस्थिति को लिखित रूप में प्रकट करेगा जिससे उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित शंकाएं की जा सकती हैं । किसी मध्यस्थ के बारे में केवल तभी आक्षेप किया जा सकता है यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनसे उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं या यदि उसके पास पक्षकारों द्वारा सहमतिजन्य अर्हताएं न हों, किंतु ऐसी चुनौती केवल उन्हीं कारणों से दी जा सकती है जिनका चुनौती देने वाले पक्षकार को नियुक्ति किए जाने के पश्चात् पता चल जाए। धारा 13 में चुनौती दिए जाने की प्रक्रिया की चर्चा है । इसमें यह कहा गया है कि पक्षकार ऐसी किसी प्रक्रिया की बाबत करार करने के लिए स्वतंत्र है । किसी करार के न होने पर, कोई पक्षकार जो चुनौती देता माध्यस्थम् अधिकरण के गठन या धारा 12 की उपधारा (3) में वर्णित किन्हीं परिस्थितियों से अवगत होने के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर माध्यस्थम् अधिकरण को चुनौती दिए जाने के कारणों का लिखित कथन भेजेगा । जबतक कि मध्यस्थ जिसे चुनौती दी गई है अपने पद से हट नहीं जाता है या दूसरा पक्षकार चुनौती से सहमत नहीं हो जाता है, माध्यस्थम् अधिकरण चुनौती का विनिश्चय करेगा और यदि चुनौती सफल नहीं होती है, तो वह माध्यस्थम् कार्यवाहियां चालू रखेगा और माध्यस्थम् पंचाट देगा । इस पंचाट को धारा 34 के अधीन अपास्त कराए जाने की ईप्सा की जा सकती है ।

धारा 16 माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की अधिकारिता के विषय में विनिर्णय करने के लिए सशक्त बनाती है । धारा 16 का खंड (1) जो सुसंगत है वह इस प्रकार है :--

(1)माध्यस्थम् अधिकरण अपनी अधिकारिता के बारे में स्वयं विनिर्णय कर सकेगा जिसके अंतर्गत माध्यस्थम् करार की विद्यमानता या विधिमान्यता की बाबत किसी आक्षेप पर विनिर्णय भी है और इस प्रयोजन के लिए,--

(क) कोई माध्यस्थम् खंड जो किसी संविदा का भागरूप है, संविदा के अन्य निबंधनों से स्वतंत्र किसी करार के रूप में माना जाएगा; और

(ख) माध्यस्थम् अधिकरण का ऐसा कोई विनिश्चय कि संविदा अकृत और शून्य है माध्यस्थम् खंड को विधित: अविधिमान्य नहीं करेगा ।

4.यदि कोई पक्षकार अधिकारिता के संबंध में अपने अभिवाक् को अस्वीकार कर दिए जाने के उपरान्त किए गए माध्यस्थम् पंचाट से व्यथित है, तो वह धारा 34 के अनुसार उसे चुनौती दे सकता है ।

धारा 34 जहां तक सुसंगत है इस प्रकार है :--

" (1) माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध, न्यायालय का आश्रय केवल उपधारा (2) या उपधारा (3) के अनुसार, ऐसे पंचाट को अपास्त किए जाने के लिए आवेदन करके ही किया जा सकेगा।

(2)कोई माध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि --

(क)आवेदन करने वाला पक्षकार यह सबूत देता है कि--

(i)कोई पक्षकार किसी असमर्थता से ग्रस्त था; या

(ii) माध्यस्थम् करार उस विधि के जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे किया है या इस बारे में कोई संकेत न होने पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिमान्य नहीं है;

(iii)आवेदन करने वाले पक्षकार को मध्यस्थ की नियुक्ति की या माध्यस्थम् कार्यवाहियों की उचित सूचना नहीं दी गई थी, या वह अपना मामला प्रस्तुत करने में अन्यथा असमर्थ था; या

(iv) माध्यस्थम् पंचाट ऐसे विवाद से संबंधित है जो अनुध्यात नहीं किया गया है या माध्यस्थम् के लिए निवेदन करने के लिए रखे गए निबंधनों के भीतर नहीं आता है या उसमें ऐसी बातों के बारे में विनिश्चय है जो माध्यस्थम् के लिए निवेदित विषय क्षेत्र के बाहर है :

परन्तु यदि माध्यस्थम् के लिए निवेदित किए गए विषयों पर विनिश्चयों को उन विषयों के बारे में किए गए विनिश्चयों से पृथक् किया जा सकता है जिन्हें निवेदित नहीं किया गया है, तो माध्यस्थम् पंचाट के केवल उस भाग को जिसमें माध्यस्थम् के लिए निवेदित न किए गए विषयों पर विनिश्चय है अपास्त किया जा सकेगा; या

(v)माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना या माध्यस्थम् प्रक्रिया पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी, जबतक कि ऐसा करार इस भाग के उपबंधों के विरोध में न हो और जिससे पक्षकार हट नहीं सकते थे या ऐसे करार के प्रभाव में इस भाग के अनुसार नहीं थी ; या

(ख) न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि--

(i) विवाद की विषयवस्तु तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने योग्य नहीं है ; या

(ii) माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है ।

स्पष्टीकरण -- उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी शंका को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है यदि पंचाट का दिया जाना कपट या भ्रष्ट आचरण द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया था या धारा 75 अथवा धारा 81 के अतिक्रमण में था।"

ऐसे आदेश जिसके द्वारा किसी माध्यस्थम् पंचाट को धारा 34 के अधीन अपास्त कर दिया गया या अपास्त किए जाने से मना कर दिया गया के विरुद्ध धारा 37 के उपबंधों के अधीन अपील की जा सकती है । धारा 16 के अधीन भी माध्यस्थम् अधिकरण की अधिकारिता से संबंधित आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।

5.इस प्रक्रम पर अधिनियम की धारा 11(10) के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विरचित स्कीम को उपवर्णित करना सुविधाजनक रहेगा । यह उसी उपबंध के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा विरचित स्कीमों की प्रतिनिधि है।

"भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की स्कीम, 1996 :--

सं. एफ. 22/1/ 95/एस.सी.ए./सामान्य-- माध्यस्थम् और सुलह अध्यादेश, 1996 की धारा 11 की उपधारा (10) के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाता हूं ।

1.**संक्षिप्त नाम**--इस स्कीम का संक्षिप्त नाम भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की स्कीम, 1996 है ।

2. **अनुरोध का प्रस्तुत किया जाना**--अनुरोध को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष धारा 11 की उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा--

(क) मूल माध्यस्थम् करार अथवा उसकी सम्यक् रूप में प्रमाणित प्रतिलिपि;

(ख) माध्यस्थम् करार के पक्षकारों के नाम और पते;

(ग) मध्यस्थों के नाम और पते, यदि कोई, पहले से नियुक्त किया गया हो;

(घ) उस व्यक्ति अथवा संस्था का नाम और पता, यदि कोई हो, जिसको अथवा जिसे माध्यस्थम् करार के पक्षकारों द्वारा कोई कार्य सौंपा गया;

(ङ) पक्षकारों के करार के द्वारा मध्यस्थों की अर्हता, यदि किसी की, वांछा की गई;

(च) विवाद और विवादित बिन्दुओं की साधारण प्रकृति को वर्णित करते हुए संक्षिप्त लिखित कथन;

(छ) ईप्सित अनुतोष या उपचार; और

(ज) सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित इस प्रभाव का शपथपत्र कि मुख्य न्यायमूर्ति को अनुरोध किए जाने के पूर्व, यथास्थिति, धारा 11 की उपधारा (4) अथवा उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के अधीन शर्त पूरी कर दी गई है ।

3.**अनुरोध पर विचार करने का प्राधिकार** -- पैरा 2 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर मुख्य न्यायमूर्ति या तो स्वयं उस मामले पर विचार कर सकते हैं जो उन्हें सौंपा गया या इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को पदाभिहित कर सकते हैं ।

4.**पदाभिहित व्यक्ति अथवा संस्था को अनुरोध का भेजा जाना**--जहां मुख्य न्यायमूर्ति किसी व्यक्ति अथवा संस्था को पैरा 3 के अधीन पदाभिहित करें, वहां वह उस व्यक्ति अथवा संस्था को पैरा 2 में उपवर्णित दस्तावेजों के साथ तुरंत अनुरोध भेजेंगे और माध्यस्थम् करार के पक्षकारों को भी सूचित करेंगे ।

5.**आगे जानकारी मांगना**--मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा धारा 3 के अधीन पदाभिहित व्यक्ति अथवा संस्था योजना के अधीन अनुरोध करने वाले पक्ष से आगे सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

6.**अनुरोध का मना किया जाना**--जहां धारा 2 के अधीन किसी पक्ष द्वारा किया गया अनुरोध इस योजना के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति अथवा संस्था उसे अस्वीकार कर सकते हैं ।

7.**प्रभावित व्यक्तियों को सूचना (नोटिस)**--पैराग्राफ 6 के उपबंधों के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति अथवा संस्था यह निर्देश करेंगे कि अनुरोध की सूचना माध्यस्थम् करार के सभी पक्षों और उन सभी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को जो ऐसे कारण बताओ के अनुरोध से प्रभावित हो सकते हैं या प्रभावित होने की संभावना है दी जाए कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, मध्यस्थ की नियुक्ति अथवा किए जाने के लिए प्रस्थापित उपाय क्यों न किए जाएं और उस सूचना के साथ पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज या यथास्थिति, सूचना या स्पष्टीकरण, यदि किसी की, पैराग्राफ 5 के अधीन ईप्सा की जाए संलग्न होंगे ।

8.**प्राधिकार का वापस लिया जाना**--यदि मुख्य न्यायमूर्ति की माध्यस्थम् करार के किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत शिकायत की प्राप्ति पर अथवा अन्यथा यह राय है उनके द्वारा पैराग्राफ 3 के अधीन पदाभिहित व्यक्ति अथवा संस्था ने कार्य करने के प्रति उपेक्षा बरती है अथवा मना किया हैं अथवा वह कार्य करने में अक्षम हैं, तो वह उस व्यक्ति अथवा संस्था को दिए गए प्राधिकार को वापस ले सकेंगे और या तो अनुरोध पर स्वयं विचार करेंगे अथवा इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को पदाभिहित कर सकेंगे ।

9.**अनुरोध पर की गई कार्यवाही की सूचना** -- मुख्य न्यायमूर्ति या पैरा 1 के अधीन अनुरोध के अनुसरण में पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की गई नियुक्ति अथवा किए गए उपाय को निम्न को संसूचित किया जाएगा-

(क) माध्यस्थम् करार के पक्षकारों को ;

(ख) माध्यस्थम् करार के पक्षकारों द्वारा पहले से नियुक्त मध्यस्थों यदि कोई हो, को ;

(ग) पैराग्राफ 2(घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था को ;

(घ) अनुरोध के अनुसरण में नियुक्त मध्यस्थ को ।

10.**अनुरोधों और संसूचनाओं का रजिस्ट्रार को भेजा जाना** -- इस स्कीम (योजना) के अधीन सभी अनुरोध और उससे संबंधित संसूचनाएं जो मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित हैं इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी जो इस प्रकार के अनुरोधों और संसूचनाओं का एक पृथक् रजिस्टर रखेगा ।

11.**लिखित संसूचनाओं का वितरण और प्राप्ति** -- माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस स्कीम (योजना) के अधीन प्राप्त की गई अथवा भेजी गई सभी लिखित संसूचनाओं पर लागू होंगे ।

12.**अनुरोधों पर कार्यवाही के लिए व्यय** -- इस स्कीम (योजना) के अधीन अनुरोध करने वाला पक्षकार मांग की सूचना की प्राप्ति पर--

(क)उस न्यायालय की रजिस्ट्री से जहां मुख्य न्यायमूर्ति मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं अथवा आवश्यक उपाय करते हैं, अथवा

(ख) पदाभिहित व्यक्ति को अथवा उस संस्था को, यथास्थिति, जहां वह व्यक्ति अथवा संस्था मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं अथवा आवश्यक उपाय करते हैं, अनुरोध पर कार्यवाही करने में अंतर्वलित व्यय के लिए ऐसी सूचना के निबंधनानुसार 15,000 रुपए का संदाय करेगा ।

13.**निर्वचन** -- यदि इस योजना (स्कीम) के किन्हीं उपबंधों के प्रति निर्देश करते हुए कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वह विवाद मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

14.**योजना (स्कीम) को संशोधित करने की शक्ति**-- मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर इस योजना (स्कीम) के किसी भी उपबंध को परिवर्धन अथवा फेरफार के द्वारा संशोधित कर सकते हैं ।"

6.तीन न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ जिसके निर्णय पर पुन: विचार किया जाना है ने विचार किए जाने के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न विरचित किए :--

(1)उस आदेश की प्रकृति क्या है जो मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके नामनिर्देशिती द्वारा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन शक्ति के प्रयोग में पारित किया गया ?

(2)यदि उक्त आदेश प्रशासनिक प्रकृति का मान भी लिया जाए तो संबंधित व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है, यदि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके नामनिर्देशिती द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उसकी प्रार्थना को किसी कारणवश अथवा अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाता है ?"

तीन न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ ने यह उल्लेख किया कि यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग द्वारा विरचित आदर्श पर आधारित है । उसने (तीन न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ ने) यह कहा कि यदि अधिनियम की धारा 11 और आदर्श विधि के अनुच्छेद 11 की भाषा के मध्य तुलना की जाए, तो यह प्रकट हो जाता है कि अधिनियम में देश के भीतर माध्यस्थम् के मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के मामलों में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को मध्यस्थ की नियुक्ति का कृत्य करने का प्राधिकारी पदाभिहित किया है जबकि आदर्श विधि के अधीन वह शक्ति न्यायालय में विहित है । जब मामला धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा पदाभिहित व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो मुख्य न्यायमर्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह इस विधायी आशय को ध्यान में रखें कि माध्यस्थम् प्रक्रिया बिना किसी विलम्ब के प्रारंभ हो जाए और सभी प्रतिविरोधात्मक विवाद्यकों को माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष उठाए जाने के लिए छोड़ दिया जाए । उस प्रक्रम पर मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उसके पदाभिहित व्यक्ति के लिए यह समुचित नहीं है कि वह पक्षकारों के मध्य के किसी प्रतिविरोधात्मक विवाद्यक को ग्रहण करे और उसका विनिश्चय करे । धारा 13 और 16 के मात्र परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ की अर्हता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता और मध्यस्थ की अधिकारिता से संबंधित विवाद मध्यस्थ के समक्ष उठाए जा सकते हैं और वह इनका विनिश्चय करेगा । यदि कोई आकस्मिकता उत्पन्न होती है जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उसके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति मध्यस्थ की नियुक्ति करने से मना कर देता है, तो नियुक्ति की ईप्सा करने वाले पक्षकार को उपचार प्राप्त होगा ही । न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप उसी प्रकार से संभव है जिस प्रकार कार्यपालिका के प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध मध्यक्षेप संभव है । दूसरे शब्दों में यह मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न किए जाने का मामला होगा और इस प्रकार परमादेश की रिट जारी की जा सकती है । ऐसी स्थिति में माध्यस्थम् प्रक्रिया प्रारंभ करने में किसी प्रकार अनावश्यक विलंब नहीं होगा । मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कृत्य की प्रकृति अवश्यमेव ही माध्यस्थम् अधिकरण के गठन में सहायता प्रदान करता है, अत: इसे न्यायिक कृत्य नहीं माना जा सकता है अन्यथा विधानमंडल ने "न्यायालय" अथवा "न्यायिक प्राधिकारी" पदों का प्रयोग किया होता। अत: यह अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थ को नियुक्त करने से इनकार किए जाने से संबंधित धारा 11 के अधीन आदेश संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन नहीं है ।

7.निर्दिष्ट निर्णय में दो विद्वान न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ ने उरा सामग्री जो आदर्श विधि से संबंधित है और विद्वान काउंसेल के तर्क की अवेक्षा करते हुए अवंलब लिया । तत्पश्चात् न्यायपीठ ने यह कहा "उपर्युक्त दलीलों और सामग्री जिसका हमारी राय में मामले से सारभूत रूप में संबंध है के आलोक में और आगे यह विचार करते हुए कि यह विवाद विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष अधिकांश मामलों में प्राय: निरंतर उत्पन्न होता रहा है, यह वांछनीय है कि यह न्यायालय मामले की पुन: परीक्षा करे ।"

8.इस प्रक्रम पर यह सुविधाजनक रहेगा कि आदर्श विधि पर आधारित तर्क पर विचार किया जाए । अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के कथन में यह कहा गया है "यद्यपि उक्त संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग आदर्श विधि और नियमों से वाणिज्यिक माध्यस्थम् और सुलह पर विचार करना आशयित है और वे समुचित उपातंरणों के साथ घरेलू माध्यस्थम् और सुलह से संबंधित विधान के लिए आदर्श है । वर्तमान विधेयक द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग आदर्श विधि और नियमों को ध्यान में रखते हुए घरेलू माध्यस्थम्, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्, विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन और सुलह से संबंधित विधि को परिभाषित करने के लिए विधि को समेकित और संशोधित करना ईप्सित है ।" उक्त अधिनियम का प्रारूपण करते समय आदर्श विधि पर मात्र विचार किया गया था, अत: वह पेटेंट है । अधिनियम और आदर्श विधि का प्रारूपण एक जैसा नहीं किया गया है । धारा 11 के अधीन माध्यस्थम् करार के किसी पक्ष द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने से संबंधित अपनी बाध्यता निभाने में विफल रहने की स्थिति में मध्यस्थ की नियुक्ति "मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति अथवा संस्था" द्वारा की जाएगी; आदर्श विधि के खंड 11 के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जाएगी । अधिनियम की धारा 34 आदर्श विधि के खंड 34 से पूर्णतया भिन्न है । अत: आदर्श विधि और उस पर दिए गए निर्णय और साहित्य अधिनियम के निर्वचन के लिए मार्गदर्शक नहीं है विशेष रूप से उसकी धारा 11.

9.अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल ने यह निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 11 में मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ नामित करने की बाबत पुरोभाव्य शर्तें अधिकथित हैं, उदाहरणार्थ उपधारा 4(क) में यह उपबंधित है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहना चाहिए । यदि कोई पक्ष जो अभिकथित रूप से अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहा है इस स्थिति का प्रतिवाद करता है, तो इस विवाद्य को मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनका पदाभिहित व्यक्ति विनिश्चित करेगा । धारा 11 की उपधारा (7) का अवलंब लिया गया जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित को सौंपे गए मामले के "विनिश्चय" के प्रति निर्देश है और उपधारा (8) का भी अवलंब लिया गया जो मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति से पक्षकारों के करार द्वारा मध्यस्थ की अपेक्षित अर्हताओं और उन अन्य विचारणाओं को जो स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं सम्यक् रूप में ध्यान में रखने की अपेक्षा की गई है। विद्वान काउंसेल के निवेदनों में यह भी कहा गया कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को मध्यस्थ नामित करने का न्यायनिर्णयनकारी कृत्य करना था । विद्वान काउंसेल ने यह निवेदन किया कि अधिनियम की धारा 16 माध्यस्थम् अधिकरण को उसकी अधिकारिता के विस्तार की बाबत विनिश्चय करने के लिए समर्थ बनाती है किंतु यह धारा यह विनिश्चित नहीं कर सकती है कि क्या मध्यस्थ को यह अधिकारिता इसलिए प्राप्त नहीं है कि उसे मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया था यद्यपि ऐसा करने के अनुरोध के प्राप्त होने के उपरान्त तीस दिन की अवधि समाप्त नहीं हुई थी; यह ऐसा विवाद्यक था जिसका विनिश्चय मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा किया जाना था । मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की स्कीम के खंड 7 का अवलंब लिया गया; यह निवेदन किया गया कि इस खंड के कारण प्रभावित पक्षकारों को कारण बताओ का नोटिस दिया जाना चाहिए था जिससे यह विवक्षित है कि उनके द्वारा कारण स्पष्ट करने पर वे

विवाद्यक जो उन्होंने उठाए का विनिश्चय मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा । **एसोशिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज लि.** बनाम **पी.एन. शर्मा और एक अन्य**[1] वाले मामले का अवलंब यह दलील देने के लिए लिया गया कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति ने अधिकरण के रूप में कार्य किया जिसके कारण उनके द्वारा मध्यस्थ नामित करने का आदेश पारित करने की बाबत अनुच्छेद 136 आकर्षित होता है । यह निवेदन किया गया कि इस निमित्त चार अनिवार्य अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिएं अर्थात् यह कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राज्य द्वारा की गई नियुक्ति थी; मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति कार्यपालिका से स्वतंत्र थे; न्यायिक रूप से विनिश्चय करना उनका कर्तव्य था; और उन्हें अपने विनिश्चय को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त थी ।

10. विद्वान महान्यायवादी ने सूचित किए जाने पर वे निवेदन किए जो प्रत्यर्थियों के विद्वान काउंसेल ने अंगीकृत किए थे । महान्यायवादी ने हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 15 की ओर आकर्षित किया जिसमें यह आदिष्ट है कि किसी भी न्यायिक प्राधिकारी को अधिनियम में उपबंधित सीमा तक ही हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्होंने हमारा ध्यान धारा 8 की ओर भी आकर्षित किया जो उस न्यायिक प्राधिकारी से जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में जो माध्यस्थम् करार के पक्षकारों के संदर्भ में उसकी (माध्यस्थम् करार की) विषयवस्तु है कार्रवाई करने की अपेक्षा करती है । विद्वान महान्यायवादी के निवेदन के अनुसार अधिनियम पर बल घरेलू (देशी) अधिकरण जिसके समक्ष पक्षकारों ने अपने विवाद प्रस्तुत करने की सहमति व्यक्त की थी की कार्यवाहियों को त्वरित बनाने के लिए दिया गया था । इस आलोक में अधिनियम को पढ़ा जाना चाहिए । धारा 11 मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति से कोई न्यायनिर्णयनकारी कृत्य करने की अपेक्षा नहीं करती है। मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति से मात्र इतना ही किया जाना अपेक्षित है कि वे मध्यस्थ का नामांकन करेंगे यदि माध्यस्थम् करार का कोई पक्षकार उससे अनुरोध करने के उपरान्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहा है और इस प्रकार मध्यस्थ का नामांकन करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनका पदाभिहित व्यक्ति पक्षकारों के मध्य के करार द्वारा मध्यस्थ से अपेक्षित अर्हता और अन्य बातों को ध्यान में रखेंगे जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं । मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को यह कार्य बाध्य आधार पर करना होता है; इसमें न्यायनिर्णयन का कोई तत्व सम्मिलित नहीं होता। विद्वान महान्यायवादी ने हमारा ध्यान धारा 12 और 13 की ओर आकर्षित किया जिनमें उस मध्यस्थ को चुनौती देने के लिए उपबंध है जिसकी स्वतन्त्रता अथवा निष्पक्षता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो गया हो । धारा 12 और 13 के उपबंध उस मध्यस्थ पर भी लागू होते हैं जिसे धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा नामांकित किया गया । विद्वान महान्यायवादी के निवेदन में माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा धारा 16 के अधीन अपनी स्वयं की अधिकारिता के आधार पर न्यायादेश पारित करने की सक्षमता उसकी अधिकारिता के विस्तार तक सीमित नहीं है अपितु वह यह विनिश्चित करने के लिए भी सक्षम है कि क्या उसे किसी भी रूप में अधिकारिता प्राप्त है । धारा 34 माध्यस्थम् पंचाट द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह वर्णित आधारों जिनमें माध्यस्थम् अधिकरण का बनाया जाना भी सम्मिलित है पर उस पंचाट को अपास्त करवाने के लिए न्यायालय में समावेदन कर सकता है । धारा 34 के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध धारा 37 के अधीन उसी प्रकार से अपील की जा सकती है जिस प्रकार वह आदेश जिसके द्वारा इस अभिवचन को स्वीकार किया जाता है कि माध्यस्थम् अधिकरण को अधिकारिता प्राप्त नहीं है । विद्वान महान्यायवादी ने हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा हिन्द साइकिल्स लिमिटेड में नियोजित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व कर रही **इंजीनियरिंग मजदूर सभा और एक अन्य** बनाम **हिन्द साइकिल्स लि. मुम्बई**[2] और **जसवन्त शुगर मिल्स लि., मेरठ** बनाम **लक्ष्मीचंद और अन्य**[3] वाले मामले में दिए गए निर्णयों की ओर यह निवेदन करते हुए आकर्षित किया कि अधिकरण एक ऐसा निकाय है जो

[1] [1965] 2 एस.सी.आर. 366.

[2] [1963] सप्ली. 1 एस.सी.आर. 625.

[3] [1963] सप्ली. 1 एस.सी.आर. 242.

न्यायनिर्णयन का कृत्य करता है। धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति ने न तो कोई न्यायनिर्णयकारी कृत्य किया है और न ही वे राज्य की शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। अत: वे अधिकरण नहीं हैं और धारा 11 के अधीन उनके आदेशों के विरुद्ध अनुच्छेद 136 के अधीन अपील की इजाजत के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

11.अनुच्छेद 136 इस न्यायालय को भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित किस न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा किस हेतुक अथवा मामले में पारित अथवा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, दंडादेश अथवा आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाज़त प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ का नामांकन जिसे अनुच्छेद 136 लागू होता है (क) निर्णय, डिक्री, विनिर्धारण, दंडादेश अथवा आदेश होना चाहिए जो (ख) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पारित किया गया हो। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा नामांकन अवधारण अथवा आदेश है और क्या यह अधिकरण द्वारा दिया गया है, जैसीकि अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल द्वारा दलील दी गई। इस विषय से संबंधित इस न्यायालय के प्राधिकार की बात बार-बार उत्पन्न हुई है।

12.अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल द्वारा स्वयं प्रोधृत निर्णय **एसोशिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज लि.**[1] वाले मामले में संविधान न्यायपीठ ने कहा, " वर्तमान अपील में जो प्रश्न हमारे द्वारा विनिश्चित किया जाना है यह है कि क्या राज्य सरकार जब वह नियम 6(5) अथवा 6(6) के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग करती है अधिकरण है.......................तथापि मुख्य और आधारभूत कसौटी यह है कि क्या न्यायनिर्णयनकारी शक्ति जिसका प्रयोग करने के लिए सशक्त वह विशिष्ट प्राधिकारी है उसे क़ानून द्वारा प्रदान की गई है और क्या इसे राज्य द्वारा अपने न्यायिक कृत्य के निर्वहन में उसकी अंतर्निहित शक्ति कहा जा सकता है। इस कसौटी को लागू करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वह शक्ति जो राज्य नियम 6(5) और नियम 6(6) के अधीन प्रयोग करता है राज्य की न्यायिक शक्ति का भाग है। यह राज्य सरकार को कानूनी नियमों द्वारा प्रदान की गई है और इसका प्रयोग प्रबंधतंत्र और उसके कल्याण अधिकारियों के मध्य विवादों के संबंध में किया जा सकता है। इस अर्थ में वाद है क्योंकि एक पक्षकार द्वारा तो प्रतिज्ञान किया गया है जबकि दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यान और विवाद अवश्यमेव ही इसके पक्षकारों के अधिकारों और विबाध्यताओं के संबंध में है।"

13.**जसवंत शुगर मिल्स लि.**[2] वाले मामले में जिसे विद्वान महान्यायवादी द्वारा उद्धृत किया गया इस न्यायालय ने यह कहा " 'अवधारण' शब्द उस संदर्भ में जिसमें यह अनुच्छेद 136 में किया गया है, राज्य की प्रभावी अभिव्यक्ति का द्योतक है जो ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा जिसके समक्ष यह निपटारे के लिए विधिमान्य विधि के अधीन प्रस्तुत किया जाता है संविवाद अथवा विवाद को समाप्त कर देती है। 'आदेश' अभिव्यक्ति का भी यही अर्थ है सिवाय इसके की इसे विवाद समाप्त करने के लिए प्रवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। 'अवधारण' अथवा 'आदेश' अवश्यमेव ही न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक होना चाहिए; विशुद्धत: प्रशासनिक अथवा कार्यपालिक निदेश को इस न्यायालय के समक्ष अपील की विषयवस्तु बनाया जाना अनुध्यात नहीं है। इस न्यायालय का प्राधिकार सारत: न्यायिक होने के कारण यह न्यायालय प्रशासनिक अथवा कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करती अर्थात् इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का स्वरूप आरंभिक अथवा अपील इसके गठन के द्वारा न्यायिक होने के कारण उस अवधारण अथवा आदेश जिसके विरुद्ध अपील किया जाना ईप्सित है का न्यायिक न्यायनिर्णयन का स्वरूप होना चाहिए।" न्यायालय ने आगे यह कहा कि किसी विनिश्चय या कार्य को न्यायिक बनाने के लिए निम्नलिखित मानदंड अवश्यमेव ही पूरा होना चाहिए :--

> " (1)यह सारभूत रूप में पहले से विद्यमान विधिक नियमों के आलोक में सामने आए तथ्यों के वस्तुनिष्ठ मानक लागू किए जाने पर किसी प्रश्न के अन्वेषण के परिणामस्वरूप अवधारण है;

---

[1] [1965] 2 एस.सी.आर. 366.

[2] [1963] सप्ली. 1 एस.सी.आर. 242.

(2)यह अधिकारों की घोषणा करता है अथवा पक्षकारों पर विबाध्यता अधिरोपित करता हो जिससे उनके सिविल अधिकार प्रभावित होते हैं ; और

(3)अन्वेषण कतिपय प्रक्रियात्मक बातों के अध्यधीन है जिनमें पक्षकार को उसके मामले को प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करना, यदि विवाद विधिक तर्क प्रस्तुत किए जाने पर विधि के प्रश्न से संबंधित है साक्ष्य के द्वारा तथ्यों का अभिनिश्चय और तथ्य तथा विधि के इन प्रश्नों पर आधारित निष्कर्षों पर मामले के निपटारे के परिणामस्वरूप विनिश्चय है ।"

न्यायालय ने आगे कहा, "किंतु न्यायिक रूप से कार्य करने के कर्तव्य के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक विनिश्चय अथवा आदेश इस न्यायालय के समक्ष अपील के अधीन नहीं होता है । अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष अपील केवल न्यायालयों और अधिकरणों के न्यायनिर्णयनों से होती है । न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन निस्संदेह न्यायिक होना चाहिए किंतु प्रत्येक प्राधिकार जो उसको अपने गठन अथवा उसे विशेष रूप से प्रदत्त प्राधिकार के द्वारा उससे न्यायिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है यह आवश्यक नहीं है कि वह अनुच्छेद 136 के प्रयोजनार्थ अधिकरण हो ।"

14. **इंजीनियरिंग मजदूर सभा**[1] वाले मामले में संविधान न्यायपीठ ने यह कहा :--

"अनुच्छेद 136(1) का आश्रय लेने के लिए दो शर्तें पूरा किया जाना आवश्यक है । प्रस्तावित अपील अवश्य ही किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण दंडादेश अथवा आदेश से होनी चाहिए अर्थात् वह विशुद्धरूप से कार्यपालिक अथवा प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए । यदि वह आदेश अथवा अवधारण जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, न्यायिक अथवा न्यायिककल्प अवधारण अथवा आदेश है, तो पहली शर्त पूरी हो जाती है । अनुच्छेद द्वारा अधिरोपित द्वितीय शर्त यह है कि वह अवधारण अथवा आदेश भारत के राज्यक्षेत्र के किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा दिया गया अथवा पारित किया गया होना चाहिए । अत: इन शर्तों की यह अपेक्षा है कि वह कार्य जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया का स्वरूप न्यायिक अथवा न्यायिककल्प होना चाहिए और वह प्राधिकारी जिसके कार्य के विरुद्ध परिवाद किया गया न्यायालय अथवा अधिकरण होना चाहिए। जब तक दोनों शर्तें पूरी न हो जाएं, अनुच्छेद 136(1) का आश्रय नहीं लिया जा सकता है ।"

न्यायालय ने यह भी कहा :--

"................ अधिकरण जो अनुच्छेद 136(1) द्वारा अनुध्यात हैं न्यायालयों की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं । वे साक्षियों को उपस्थित होने के लिए विवश कर सकते हैं, वे शपथ दिला सकते हैं, उनसे प्रक्रिया के कतिपय नियमों का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है, उनके समक्ष कार्यवाहियों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है, वे साक्ष्य के कड़े और तकनीकी नियमों द्वारा आबद्ध नहीं किए जा सकते किंतु फिर भी उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विनिश्चय करना चाहिए, वे विधि के अन्य तकनीकी नियमों से आबद्ध नहीं हैं किंतु फिर भी उनके विनिश्चय विधि के साधारण सिद्धांतों के संगत होने चाहिएं । दूसरे शब्दों में, उनको न्यायिक रूप से कार्य करना चाहिए और उनके विनिश्चय वस्तुनिष्ठ रीति से होने चाहिए और वे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक रूप से अग्रसर नहीं हो सकते हैं अथवा अपने निष्कर्षों को व्यक्तिनिष्ठ कसौटियों पर अथवा प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं निकाल सकते हैं ...."

15.संक्षिप्त रूप में किसी आदेश के विरुद्ध अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत से अपील किए जाने का आवेदन अवश्य ही न्यायनिर्णयनकारी आदेश होना चाहिए, ऐसा आदेश जो पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों का न्यायनिर्णयन करे और यह राज्य द्वारा अपनी जनता को न्याय सुलभ कराने की उसकी विबाध्यता के निर्वहन के प्रयोजनार्थ उसके (राज्य के) द्वारा गठित प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाना चाहिए ।

[1][1963] सप्ली. 1 एस.सी.आर. 625.

16.अधिनियम की धारा 11 में मध्यस्थों की नियुक्ति की चर्चा है । इसमें यह उपबंधित है कि पक्षकार मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया की बाबत सहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है । ऐसी प्रक्रिया के संबंध में कोई सहमति न हो पाने की स्थिति में तीन मध्यस्थों वाले माध्यस्थम् में प्रत्येक पक्षकार से एक मध्यस्थ नियुक्त करने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार नियुक्त दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे । यदि कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने के तीस दिन के भीतर मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर पाता है अथवा पक्षकारों द्वारा नियुक्त दोनों मध्यस्थ अपनी नियुक्ति के तीन दिन के भीतर तीसरे मध्यस्थ की बाबत सहमत नहीं हो पाते हैं, तो पक्षकार मध्यस्थ नामांकित करने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध कर सकता है और नामांकन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किया जाएगा । यदि पक्षकार एकमात्र मध्यस्थ वाले माध्यस्थम् में मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया की बाबत सहमत नहीं हुए हैं और पक्षकार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर मध्यस्थ की बाबत सहमत नहीं हो पाते हैं, तो नामांकन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा पक्षकार के अनुरोध पर किया जाएगा । जहां पक्षकारों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया की सहमति व्यक्त की गई है किंतु कोई पक्षकार उस प्रक्रिया द्वारा यथा अपेक्षित रूप में कार्य नहीं कर पाता है अथवा पक्षकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त दोनों मध्यस्थ उस सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं जिसकी उनसे उस प्रक्रिया के अधीन आशा की जाती है अथवा व्यक्ति अथवा संस्था उस कृत्य को करने में असफल रहती है जो उन्हें सौंपा गया या उस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर पाती है, तो पक्षकार मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति से मध्यस्थ का नामांकन करने का अनुरोध कर सकता है जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया में इस संबंध में दूसरी बातों का उपबंध न हो। मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम होता है । मध्यस्थ का नामांकन करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को पक्षकारों के मध्य के करार में की मध्यस्थ की अपेक्षित अर्हताओं और उन अन्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए जोकि स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ का नामांकन सुनिश्चित करेंगी ।

17.धारा 11 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अनुरोध करने वाले पक्षकार से भिन्न पक्षकार को ध्यान देने की अपेक्षा की जाए । इसमें दूसरे पक्षकार से उत्तर की बात अनुध्यात नहीं है । किसी ऐसे संविवाद पर मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा विनिश्चय अनुध्यात नहीं है जो दूसरा पक्षकार तीस दिन की अवधि के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में उसके विफल रहने के संबंध में उठा सके । मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को मध्यस्थ का नामांकन केवल तभी करना चाहिए यदि तीस दिन की अवधि समाप्त हो गई हो किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि नामांकन करने का विनिश्चय न्यायनिर्णयनकारी है । मुख्य न्यायमूर्ति को नियुक्ति करने के अपने अनुरोध में पक्षकार से यह प्रकथन करना चाहिए कि वह अवधि व्यतीत हो गई है और सामान्य रूप से पक्षकारों के मध्य हुए पत्र व्यवहार को इसकी पुष्टि करने के लिए संलग्न किया जाना चाहिए । इस बात को मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए । इस बात से कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति को पक्षकारों के मध्य हुए करार (जो साधारणत: अनुरोध के साथ सलंग्न किया जाएगा) के द्वारा मध्यस्थ की अपेक्षित अर्हताओं और उन अन्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिनसे स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ का नामांकन सुनिश्चित होने की अधिसंभाव्यता है से भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति से न्यायनिर्णयनकारी कृत्य किया जाना अपेक्षित है । 'विनिश्चय' शब्द का प्रयोग मध्यस्थ का नामांकन करने की बाबत किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध के मामले में किया जाता है का यह अर्थ नहीं है कि न्यायनिर्णयनकारी विनिश्चय अनुध्यात है ।

18.जैसाकि हम समझते हैं, धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति का एकमात्र कृत्य माध्यस्थम् करार के किसी पक्षकार अथवा पक्षकारों द्वारा नियुक्त दोनों मध्यस्थों द्वारा छोड़ी गई रिक्ति को भरना और मध्यस्थ का नामांकन करना है । यह माध्यस्थम् अधिकरण शीघ्रतापूर्वक गठित किए जाने और माध्यस्थम् कार्यवाहियां आरंभ करना सुलभ बनाने के लिए है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यस्थ का नामांकन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उच्च न्यायिक पद धारण करता हो अथवा उसके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा किया जाए जो इस बात का समुचित ध्यान रखेंगे कि सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ ही नामांकित हो यह कृत्य मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति पर ठीक ही छोड़ दिया गया है ।

19.यह हो सकता है कि यद्यपि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ को नामांकित करने में सभी आवश्यक सावधानी बरती हो, तो भी किसी मामले में कोई पक्षकार उस मध्यस्थ की स्वतंत्रता अथवा निष्पक्षता के विषय में न्यायोचित संदेह कर सकता है । उस स्थिति में उस पक्षकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वह धारा 13 के अधीन की गई प्रक्रिया अपनाते हुए मध्यस्थ को धारा 12 के अधीन चुनौती दे । यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है कि धारा 13 के अधीन चुनौती के आधार केवल इस कारणवश उपलब्ध नहीं हैं कि मध्यस्थ का नामांकन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा धारा 11 के अधीन किया गया ।

20.यह भी संभव है कि किसी मामले में मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति मध्यस्थ का नामांकन कर दे चाहे तीस दिन की अवधि व्यतीत न हुई हो । यदि ऐसा है तो माध्यस्थम् अधिकरण का गठन अनुचित और अधिकारिता रहित होगा । तब व्यथित पक्षकार को माध्यस्थम् अधिकरण से उसकी अधिकारिता की बाबत न्यायादेश कराने की स्वतंत्रता होगी । इसके लिए धारा 16 में उपबंध है । इसमें यह कहा गया है कि माध्यस्थम् अधिकरण अपनी स्वयं की अधिकारिता की बाबत न्यायादेश दे सकता है । इस बात से कि माध्यस्थम् अधिकरण "माध्यस्थम् करार की विधिमान्यता अथवा विद्यमानता के संबंध में किसी भी आक्षेप" की बाबत न्यायादेश दे सकता है से यह दर्शित है कि धारा 16 के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण का प्राधिकार उसकी अधिकारिता के विस्तार तक ही सीमित नहीं है, जैसाकि अपीलार्थियों के विद्वान काउंसेल द्वारा निवेदन किया गया, अपितु यह उसकी अधिकारिता के आधार से भी संबंधित है । अत: माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष यह दलील देने में कोई अड़चन नहीं है कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति ने मध्यस्थ नामांकित कर दिया यद्यपि तीन दिन की अवधि समाप्त नहीं हुई थी इसका गलत गठन किया गया और इसलिए उसे कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है ।

21.धारा 11 के अधीन मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा बनाई गई स्कीमें धारा 11 के निर्वचन को शासित नहीं कर सकती हैं । यदि तैयार की गई स्कीमें धारा 11 के निबंधनों के परे हैं, तो वे दोषपूर्ण हैं और संशोधित की जानी चाहिए। इस सीमा तक मध्यस्थों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की स्कीम, 1996 के अधीन धारा 11 के बाहर है, अत: खंड 7 के अधीन माध्यस्थम् करार दूसरे पक्षकार पर यह दर्शित करने के लिए नोटिस तामील किया जाना आवश्यक है कि मध्यस्थ का नामांकन, जैसीकि प्रार्थना की गई, नहीं किया जाना चाहिए यह दोषपूर्ण है और संशोधित किया जाए । दूसरे पक्षकार को इस अनुरोध का नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है ताकि उसके विषय में जान सके और वह ऐसा करना चाहता है, तो मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति की मध्यस्थ के नामांकन में सहायता कर सकता है ।

22.निष्कर्षत:, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके पदाभिहित व्यक्ति द्वारा धारा 11 के अधीन किया गया आदेश जिसके द्वारा मध्यस्थ का नामांकन किया गया न्यायनिर्णयनकारी आदेश नहीं है और मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनका पदाभिहित व्यक्ति अधिकरण नहीं है । ऐसे आदेश के विरुद्ध अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत अपील का आवेदन उचित ही नहीं किया जा सकता है । **कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. और अन्य** बनाम **मेहुले कन्सट्रक्शन कं.**[1] वाले मामले में तीन न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय की पुष्टि की जाती है ।

23.हम विद्वान महान्यायवादी द्वारा न्यायमित्र के रूप में दी गई सहायता की सराहना अभिलिखित करते हैं ।

24.परिणामत:, यह अपील खारिज की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

अपील खारिज की गई ।

शु./मदन

---

[1](2000) 7 एस.सी.सी. 201.